न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

24 / 2022

श्री अशोक कुमार परिहार पुत्र श्री भगवान दास निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला–टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 28.07.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज़्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2022 प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 2022 / 373–74 दिनाक 9.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 3–आगंनबाडी के पास बने सामुदायिक शौचालय के पीछे किसी का अतिकमण तो नही है? यदि है तो उसे हटाने के लिये क्या प्रयास किये गये ? तथा क्या वर्तमान मे भी अवैध अतिकमण तो नही है?

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा ऑन–लाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 5 बिन्दूओं की सूचना चाही गई है। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दू संख्या 1, 2, 4 व 5 के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही होने से तत्समय ही अपीलार्थी को ऑन–लाईन सूचित किये जाने के उपरान्त अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला–टोंक को पत्र किमांक 659 दिनांक 23–6–2022, 679 दिनांक 4.07.2022 व 721 दिनांक 14.7.2022 को प्रेषित कर बिन्दू संख्या 3 पर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांकः 1227 दिनांक 18–07–2022 से जवाब [illegible] की प्रति उनके पत्र कमांक 1228–29 दिनांक 18.07.2022 से अपीलार्थी को [illegible] गई। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में [illegible] किया जा [illegible] है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:58 IST
Reason: SelfAttested